

भारी उद्योग मंत्रालय
मांग संख्या 48
भारी उद्योग मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1050.94	127.05	1177.99	3213.79	92.21	3306.00	3176.36	43.97	3220.33	6145.32	26.31	6171.63
वसूलियां	-10.41	...	-10.41
प्राप्तियां
निवल	1040.53	127.05	1167.58	3213.79	92.21	3306.00	3176.36	43.97	3220.33	6145.32	26.31	6171.63
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	32.03	...	32.03	32.93	...	32.93	36.28	...	36.28	37.02	2.00	39.02
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास												
2. भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण हेतु योजना-(फेम इंडिया)	800.00	...	800.00	2908.28	...	2908.28	2897.84	...	2897.84	5171.97	...	5171.97
3. आटोमोबाइल और एलाइड उद्योगों के लिए विकास परिपद	4.70	17.00	21.70	5.00	23.62	28.62	5.00	...	5.00
4. ऑटोमोबाइल और ऑटो कम्पोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन सम्बंध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम	3.00	...	3.00	10.74	...	10.74	604.00	...	604.00
5. राष्ट्रीय उन्नत रसायन मेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम के लिए उत्पादन सम्बंध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम	3.00	...	3.00	0.90	...	0.90	1.00	...	1.00
जोड़-ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास	804.70	17.00	821.70	2919.28	23.62	2942.90	2914.48	...	2914.48	5776.97	...	5776.97
पूंजीगत वस्तु क्षेत्रों का विकास												
6. भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की वृद्धि	28.94	...	28.94	200.00	...	200.00	199.60	...	199.60	250.00	...	250.00
7. उद्योग संघों और सार्वजनिक उपक्रमों के उन्नयन की गतिविधियां	0.05	...	0.05	0.25	...	0.25
जोड़-पूंजीगत वस्तु क्षेत्रों का विकास	28.99	...	28.99	200.25	...	200.25	199.60	...	199.60	250.00	...	250.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	833.69	17.00	850.69	3119.53	23.62	3143.15	3114.08	...	3114.08	6026.97	...	6026.97
केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
8. केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान	15.00	...	15.00	24.00	...	24.00	24.00	...	24.00	24.00	...	24.00
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
9. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता	170.22	110.05	280.27	37.33	68.59	105.92	2.00	43.97	45.97	57.33	24.31	81.64
अन्य												
10. वास्तविक बसूली	-10.41	...	-10.41
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	174.81	110.05	284.86	61.33	68.59	129.92	26.00	43.97	69.97	81.33	24.31	105.64
कुल जोड़	1040.53	127.05	1167.58	3213.79	92.21	3306.00	3176.36	43.97	3220.33	6145.32	26.31	6171.63
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	1008.50	...	1008.50	3180.86	...	3180.86	3140.08	...	3140.08	6108.30	...	6108.30
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	32.03	...	32.03	32.93	...	32.93	36.28	...	36.28	37.02	...	37.02
3. अभियांत्रिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.05	0.05	0.05	0.05
4. उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	78.41	78.41	...	44.30	44.30	0.02	0.02
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2.00	2.00
6. सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योगों के लिए ऋण	0.01	0.01	0.01	0.01
7. अभियांत्रिक उद्योगों के लिए ऋण	...	17.00	17.00	...	47.81	47.81	24.19	24.19
8. उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	...	31.64	31.64	...	0.04	0.04	...	43.97	43.97	...	0.04	0.04
जोड़-आर्थिक सेवाएं	1040.53	127.05	1167.58	3213.79	92.21	3306.00	3176.36	43.97	3220.33	6145.32	26.31	6171.63
कुल जोड़	1040.53	127.05	1167.58	3213.79	92.21	3306.00	3176.36	43.97	3220.33	6145.32	26.31	6171.63

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. भारत हेवी एलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	...	231.00	231.00	...	223.00	223.00	...	223.00	223.00	...	200.00	200.00
2. हेवी इंजीनियरिंग कांफ़रिशन लिमिटेड	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
3. स्कूटर इंडिया लिमिटेड	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
4. एनएमटी लिमिटेड	...	4.71	4.71	0.01	25.20	25.21	...	13.33	13.33	0.01	22.28	22.29
5. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
6. एण्ड्रयू यूएल एण्ड कंपनी लिमिटेड	...	29.27	29.27	...	23.50	23.50	...	38.53	38.53	...	37.00	37.00
7. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड	...	0.58	0.58	...	2.25	2.25	...	1.50	1.50	...	1.00	1.00
8. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	...	0.02	0.02

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़		

9. त्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड	...	1.96	1.96	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
10. रिचर्डसन एंड कूडास लिमिटेड	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	0.01
11. ब्रेथवेट बर्न जेसोप कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	...	1.04	1.04	...	1.00	1.00	...	4.50	4.50	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
12. नेपा लिमिटेड	78.41	...	78.41	44.29	...	44.29	0.01	...	0.01	0.01	0.01
13. हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	0.01
14. सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	...	5.80	5.80	...	57.89	57.89	...	21.49	21.49	...	17.51	17.51	...	17.51	17.51	...	17.51	17.51
जोड़	78.41	274.38	352.79	44.35	337.84	382.19	...	307.35	307.35	0.07	281.79	281.86	...	281.86	281.86	...	281.86	281.86

(₹ करोड़)

1. **सचिवालय:** इसमें भारी उद्योग मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण हेतु योजना-(फेम इंडिया):** इस योजना के जरिए से, विभाग ने देश की जैविक ईंधन पर निर्भरता कम करने के साथ लोगों को स्वच्छ परिवहन समाधान उपलब्ध कराने के लिए नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (एनईएमएएमपी) स्कीम 2020 के तहत देश में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड परिवहन को बढ़ाना देने की एक पहल की है। इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान किया गया है।

4. **ऑटोमोबाइल और ऑटो कम्पोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन सम्बन्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम:** उन्नत ऑटोमोटिव उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना। ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए पीएलआई योजना उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देती है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में लागत की अक्षमताओं पर काबू पाना, पैमाने की अर्थव्यवस्था बनाना और उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के क्षेत्रों में एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना शामिल है। इससे रोजगार भी पैदा होगा। यह योजना ऑटोमोबाइल उद्योग को मूल्य श्रृंखला को उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करेगी। यह योजना आयात निर्भरता को कम करेगी और आत्मनिर्भर भारत पहल का समर्थन करेगी।

5. **राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम के लिए उत्पादन सम्बन्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम:** एसीसी बैटरी के लिए पीएलआई योजना देश में प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी सेट-अप स्थापित करने के लिए बड़े घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना करती है। एसीसी उन्नत भंडारण प्रौद्योगिकियों की नई पीढ़ी है जो विद्युत ऊर्जा को या तो विद्युत रासायनिक या रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहीत कर सकती है और आवश्यकता पड़ने पर इसे वापस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है। इस योजना के माध्यम से, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, उन्नत बिजली ग्रिड, सोलर रूफटॉप आदि जैसे प्रमुख बैटरी खपत वाले क्षेत्रों में आने वाले वर्षों में मजबूत वृद्धि हासिल करने की उम्मीद है। यह योजना आयात निर्भरता को कम करेगी और आत्मनिर्भर भारत पहल का समर्थन करेगी।

6. **भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की वृद्धि:** इस योजना का उद्देश्य देश में औद्योगिक आधार को विकसित करने के लिए विभाग की बड़ी स्थायी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता की वृद्धि करना है। इस योजना के तहत,

उद्योगों को कौशल और प्रौद्योगिकी सहयोग प्रदान करने के लिए आधुनिक साक्षा सुविधा केन्द्रों और सेक्टर विशिष्ट औद्योगिक क्लस्टर पार्कों की स्थापना की जाएगी।

8. **केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान:** सीएमटीआई एक अनुसंधान एवं विकास संगठन है जो व्यवहारिक प्रयोजनों तथा देश में प्रौद्योगिकी की वृद्धि में मदद करने के लिए अपने प्रयास मुख्य रूप से विनिर्माण प्रौद्योगिकी सेक्टर में ज्ञान अर्जित करने पर केन्द्रित करता है। संस्थान के कर्मचारियों के वेतन के आंशिक भुगतान के लिए प्रावधान रखा गया है।

9. **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता:** केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बजटीय समर्थन में शामिल हैं: (i) हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल) में अनुदान और निवेश और (ii) बीपीसीएल को अनुदान: (i) के पूर्व कर्मचारियों की पेंशन देनदारियों को पूरा करने के लिए एक प्रावधान रखा गया है। एचएसएल और इसके नमक उत्पादन को बढ़ाने और मशीनरी, बुनियादी ढांचे आदि के आधुनिकीकरण के लिए और (ii) बंद करने से संबंधित व्यय के लिए, जिसमें बीपीसीएल कर्मचारियों के लिए वीआरएस/वीएसएस के कार्यान्वयन, उनके बकाया वेतन और वैधानिक देय राशि का भुगतान, आपूर्तिकर्ता ठेकेदारों / उपयोगिताओं के बकाये का भुगतान शामिल है।